


फार्म
अचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 2013

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 1992-93 - निरंक

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम विनय कुमार परवार 2. वर्तमान धारित पद - कार्यपालन अभियंता 3. कार्यालय का पूरा नाम - मुख्य अभियंता (प्रोक्वोरमेंट) म.प्र.पा.ट्रांस.क.लि.
4. वर्तमान वेतन - 50070/- एवं ग्रेडपे-4 5. भविष्य निधि क्रमांक - 25937805 6. कर्मचारी संख्या - 92431054

उप जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये की वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया "खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. लमती, प.ह. 34, जबलपुर-2, तह./जिला -जबलपुर (म.प्र.)	---	1500 वर्गफुट	लगभग ₹ 9.0 लाख	स्वयं के नाम पर	दिनांक 19.05.03 को श्रीमती अंसारी पिता श्री हाजी मो. शरीफ से कय किया गया। कय हेतु आवश्यक राशि पिता द्वारा प्रदत्त की गयी।	निरंक	
2. लमती, प.ह. 34, जबलपुर-2, तह./जिला -जबलपुर (म.प्र.)	---	60X40 = 2400 वर्गफुट	लगभग ₹ 18.0 लाख	स्वयं के नाम पर	दिनांक 15.02.2006 को श्रीमती उषारानी पति-स्व. श्री विमलचंद जैन से कय किया गया। बचत राशि से भूमि कय की गयी।	निरंक	
3. जे.डी.ए.प्लॉट क. 648, (न.पा.म.क.851/23) शक्तिनगर,शहीद गुलाब सिंग वार्ड, जबलपुर(म.प्र.)	रहवासी मकान प्लॉट क्षेत्रफल-30 X50= 1500व.फु. निर्मित क्षेत्रफल-681+535=1500व.फु.	---	लगभग ₹ 32.0 लाख	संयुक्तरूप से स्वयं एवं पत्नी श्रीमति ज्योति परवार	दिनांक 15.02.10 को श्री उमेश लालवानी पिता श्री भगवान से कय किया गया। 85% बैंक फाइनेंस एवं शेष बचत राशि से कय किया गया।	₹ 48,000/- (स्वतः) ₹ 48,000/- (पत्नी)	
4. करमेता, प.ह. 78, जबलपुर	---	50X40 = 2000 वर्गफुट	लगभग ₹ 12.0 लाख	श्रीमती ज्योति परवार (पत्नी)	दिनांक 07.11.12 को श्रीमती कमला बाई पटेल वगैरह से कय किया गया। भूखण्ड 1785व.फु., प.ह.-75 तह./जिला-सिवनी की विकय राशि ₹ 4.98लाख एवं शेष बचत राशि से कय किया गया।	निरंक	

हस्ताक्षर - 
नाम - विनय कुमार परवार
पद - कार्यपालन अभियंता

1. जहाँ लागू न हो काट दीजिये।
2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी- मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1985 के नियम (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा स्वयं के द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।